बीकानेर नगर निगम

o/k x`g fu;=.k mifof/k;k¡&2010

राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 (राजस्थान अधिनियम सं0 18 सन् 2009) की धारा 340 की उप धारा(1) के खण्ड (जे) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित उपविधि बनाती है, नामतः—

1- laf{kIr uke] lhek rFkk izHkko%&

(1) यह उपविधि बीकानेर नगर निगम (वध गृह नियंत्रण) उपविधियॉ 2010 कहलायेंगी।
(2) यह उपविधि बीकानेर नगर निगम की सीमा में प्रभावशील होगीं।
(3) यह उपविधि तत्काल प्रभावशील होगी।

2. ifjHkk"kk,¡%&

जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ :—

(1) अध्यक्ष से, अभिप्रेरत है महापौर।
(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से है।
(3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अभिप्रेत है मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त से है।
(4) ''निगम'' से तात्पर्य बीकानेर नगर निगम से है।
(5) 'वध गृह' से तात्पर्य नगर निगम द्वारा पशुओं के वध हेतु निर्धारित किये गये स्थान एवं भवन से है।
(6) 'पशु' से तात्पर्य खाद्य मॉस प्राप्त करने के उद्देश्य से वध किये जाने वाले पशु जैसे बकरा, मेंढा से है।
(7) 'वध गृह निरीक्षक' से तात्पर्य निगम द्वारा वधगृह के निरीक्षण हेतु नियुक्त निरीक्षक से है।

3- fujlu%&

इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व इन उपविधियों से संबंधित मामले के लिए प्रचलित समस्त नियम, उपनियम, विनियम, या उनके तहत जारी किये गये आदेश, निर्देश, परिपत्र इन उपविधियॉ के प्रभावशील होते ही निरसिन हो जावेंगें, किंतु उक्त नियम, उपनियम, विनिमय, आदेश, निर्देश या परिपत्र अथवा अधिसूचना के अनुसरण में की गई कार्यवाही इन उप—विधियों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

4- fuxe }kjk LFkkfir o/kx`g ds vfrfjDr vU; LFkku ij o/k djus ij izfrcU/k%&

कोई भी व्यक्ति निगम द्वारा स्थापित वध गृह के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पशु का वध नही कर सकेगा।

5- *o/k xg dh LFkkiuk&*

(1) निगम उन उपविधियों के पालनार्थ किसी उपयुक्त स्थान पर जहॉ कि सार्वजनिक अनुत्रास (nuisance) का केन्द्र नही बने एवं नागरिको की भवनाओं पर कोई प्रतिकूल असर नही पड़े, वधगृह का निर्माण करवायेगा।

(2) वध गृह की भूतल से ऊचॉई कम से कम एक मीटर होगी एवं दीवारों पर भीतर की तरफ फर्श से कम से कम 1.50 मीटर ऊचॉई तक सीमेंट प्लास्टर किया जायेगा जिससे की दीवारों पर लगे खून आदि को साफ किया जा सके। वध गृह का फर्श पूर्णतः सीमेण्ट या इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि पूर्णतः स्वच्छ रखा जा सके। वध गृह के भीतर चारों तरफ नाली रखी जायेगी एवं बाहरी नाली का निकास वध गृह के पीछे कम से कम 5 मीटर दूर तक कुण्डी मे रखा जाएगा।

(3) वध के पश्चात् वहॉ से मास, मज्जा एवं खून व पशु की खाल तुरन्त ही हटा दी जाएगी एवं प्रत्येक वध के तुरन्त बाद फर्श को पानी से धोकर साफ रखा जाऐगा।

(4) वध गृह के चारो तरफ 1.50 मीटर की ऊॅची दीवार बनाई जाएगी ताकि दूसरे जानवर अंदर प्रवेश न कर सके।

(5) वध गृह की तमाम खिड़कियॉ, रोशनदान आदि तार की जाली से आच्छादित होगें एवं एवं वध गृह में प्रकाश तथा पानी की पूर्ण व्यवस्था होगी। महीने में दो बार वध गृह की दीवारों पर सफेदी की जावेगी। वध गृह की दीवारें 1.50 मीटर की ऊचॉई तक प्रतिदिन धोई जाएगी।

(6) वध गृह का समय निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(7) 12 वर्ष के नीचे के आयु के किसी भी व्यक्ति को अन्दर प्रवेश नही दिया जावेगा।

6- *o/k dju d vkStkj i.kZr% LoPN ,o rt /kkj oky gkx&*

वध गृह मे वध करने के औजार पूर्णतः स्वच्छ एवं कीटाणु रहित होगें। वध करने के औजार तेज धार वाले होगें जिससे कि वध करते समय पशु को अधिक कष्ट न हो। औजार वध करने वाले को स्वयं को लाने होगें।

7- *o/k dju l iol i'kq dk fujh{k.k&*

(1) प्रत्येक पशु जो वध के प्रयोजनार्थ लाया जावेगा वध करने से पूर्व निगम के वध गृह निरीक्षक अथवा निगम द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अन्य अधिकारी के समक्ष निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा पशु को स्वस्थ घोषित करने पर ही वध गृह में वध हेतु प्रविष्ट किया जायेगा। अस्वस्थ पशुओं के वध की अनुमति नही दी जायेगी। पशु की स्वस्थता के बारें में प्राधिकृत पशु चिकित्सक का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) निगम द्वारा इस हेतु नियुक्त कर्मचारी, इस प्रकार के पशु पर जो वध गृह निरीक्षण द्वारा स्वस्थ घोषित हो, नगर नगम की मुद्रा (मोहर) अंकित करेगा। मुद्रा अंकित होने पर ही पशु का वध किया जा सकेगा।

8- *eknk] n/kk: ,o vLoLFk i'kq d o/k dju ij ifrcU/k&*

निगम सीमा में कोई भी व्यक्ति मादा दुधारू पशु जैसे भेड़, बकरी आदि का वध नहीं कर सकेगा एवं किसी अस्वस्थ एवं छूत के रोग से ग्रसित पशु का वध नही करेगा।

9- *e'rd i'kvk d uxj fuxe lhek e yk, tku ij ifrc/k%&*

कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा में किसी प्रकार के मृतक पशु को वध हेतु या अन्यथा नही लायेगा और न ही किसी के द्वारा मंगवायेगा। मृतक पशु का मॉस आदि किसी भी सूरत में नगर निगम सीमा में प्रविष्ट न तो करेगा और नही करायेगा।

10- *fujh{k.k d vf/kdkj%&*

इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, वध गृह निरीक्षक एवं इस हेतू अधिकृत निगम के अन्य अधिकारी वध गृह का समय समय पर निरीक्षण कर सकेगें।

11. *vodk'k%&* वध गृह पर निम्नांकित दिवसों को बंद रहेगें :–

1. गणेश चतुर्थी	2. अनंत चतुर्दशी	3. ऋषि पंचमी
4. गॉधी जयन्ती	5. राम नवमी	6. गॉधी निर्वाण दिवस
7. महाशिवरात्री	8. महात्मा बुद्ध जन्म दिवस	9. महावीर जयंती
10 कृष्ण जन्माष्टमी	11 गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)	12 स्वतंत्रता दिवस (15अगस्त)
13 कार्तिक पुर्णिमा	14 दीपावली	

15 राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर घोषित अन्य दिवस

12- *o/k xg l ekl eTtk vkfn dk fu"iknu%&*

वधकर्त्ता प्रत्येक वध के पश्चात मॉस, मज्जा आदि को गन्तव्य स्थान तक इस प्रकार के पात्रों में बन्द कर ले जायेगा जिससे जन साधारण की दृष्टि उस पर न पड़ सके और जन अनुत्रास अथवा जन उत्पीड़न उत्पन्न न हो।

13- *vfHk;kstu%&*

इन उपविधियों का किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार से उल्लघंन करते पाये जाने की दशा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभियोजन करने हेतु सक्षम होगा।

14- *o/k 'kYd%&*

वध गृह में प्रत्येक पशु का वध करने के पूर्व निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराने के पश्चात् ही पशु वध किया जा सकेगा। निगम वध गृह शुल्क एकत्रित करने के लिए किसी एक व्यक्ति को वसूली का ठेका भी दे सकेगा।
वध करने का निर्धारित शुल्क होगाः–
100/रू प्रति बकरा या मेढा

15- *'kkfLr%&*

इन उपविधियों की किसी भी उपविधि के उल्लघंन किये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दोषी व्यक्ति का सक्षम दण्डपाल के समक्ष अभियोग प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा दोष सिद्ध हो जाने के उपरान्त दण्डपाल द्वारा दण्ड दिया जा सकेगा जो कि 2,000 रू से कम नही होगा किन्तु जो 5,000 रू तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

16- *vihy%&*

इन उपविधियों के अंतर्गत दिये गये किसी भी आदेश, निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश के विरूद्ध उसकी प्राप्ति से 30 दिवस के अंदर कलक्टर के समक्ष अपील की जा सकेगी। आदेश या निदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय उक्त समयावधि के अतिरिक्त दिया जावेगा।

17- *le>kSrk%&*

इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार निगम द्वारा अपराध का अभिसंधान या समझौता किया जा सकेगा।